फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

वेणा पिता पिथा डांगी निवासी सेमलिया तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

सरकार जरिये पटवारी पटवार हल्का सेमलिया, तहसील डूंगला वगैरा

प्रकरण संख्या 163/2023 (रा.अ.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.08.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी आज भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। रुक-रुक कर तीन-चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी उपस्थित नहीं। वि. सं. 4 की तामील शेष है। अधिवक्ता प्रार्थी को वि. सं. 4 की तामील हेतु नोटिस पेश करने हेतु कई बार निर्देशित किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने के पश्चात् आदिनांक तक विपक्षीगणों की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किए। न्यायालय स्तर से विपक्षीगण की तामील हेतु नोटिस जारी करने पर वि. सं. 4 का सूचना पत्र यहां निवास नहीं करके महाराष्ट्र में रहता है की टिप्पणी के साथ पेशी दिनांक 30.05.2024 को प्राप्त हुआ जिसके पश्चात् अधिवक्ता प्रार्थी को वि. सं. 4 की तामील हेतु सही पते का नोटिस प्रोसेस पेश करने हेतु कई बार सूचित किया फिर भी उनके द्वारा पेश नहीं किया। पेशी दिनांक 25.07.2024 को अधिवक्ता प्रार्थी को वि. सं. 4 की तामील हेतु सही पते का नोटिस प्रोसेस पेश करने हेतु न्यायहित में अन्तिम अवसर देते हुए निर्देशित किया गया था कि आगामी पेशी पर सही पते का नोटिस प्रोसेस पेश नहीं करने पर पत्रावली खारिज कर दी जावेगी फिर भी उनके द्वारा आज भी वि. सं. 4 की तामील हेतु सही पते का नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया है तथा आज भी बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। अर्थात् अधिवक्ता प्रार्थी अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है अतः अब प्रकरण आदेश 09 नियम 05 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	